ओमप्रकाश बनाम सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
18/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली अनुसार दिनांक 24/4/24 को पेश हो।
24/4/24	पत्रावली पेश हुई। [illegible] बहस वकील प्रार्थी की ओर से बहस [illegible] स्वीकार [illegible] जाता है [illegible] पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
जयपुर जिला जयपुर

Reader 18/12/22

प्रार्थना पत्र संख्या 136/22

1. ओमप्रकाश पुत्र रामनारायण
2. शंकरलाल पुत्र रामनारायण

जातियान् हरियाणा ब्राहमण निवासी हरचन्दपुरा बास देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर
2. उप तहसीलदार– उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार हाल नक्शा ट्रेस को दुरुस्त करने अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्रीमान्जी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं :–

1. यह कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 1.84 हैक्टयर वाके ग्राम हरचन्दपुरा बस देवलिया, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला ज[illegible]त हैं जिसके साबिक खसरा नम्बर 77 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा [illegible] प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested

शंकरलाल शर्मा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

ठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
ार्थना पत्र : 136/2022
नर्णय दिनांक : 24.04.2024

ोमप्रकाश पुत्र रामनारायण
ंकरलाल पुत्र रामनारायण जातियान् हरियाणा ब्राहमण निवासी हरचन्दपुरा बास
देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर
उप तहसीलदार– उप तहसील बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत साबिक नक्शा ट्रेस अनुसार हाल नक्शा ट्रेस को दुरूस्त करने अन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा नंम्बर 176 रकबा 1. 84 हैक्टयर वाके ग्राम हरचन्दपुरा बस देवलिया, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित हैं जिसके साबिक खसरा नम्बर 77 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा हैं तथा आज भी मौके पर काबिज हैं। दौराने सेटलमेंट भू–प्रबन्ध विभाग ने साबिक खसरा नम्बर के नक्शा ट्रेश से नये नम्बर अनुसर नया नक्शाट्रेश बनाते समय पूर्व में उत्तरी सीमा की नाप 112 मीटर थी जिसको हाल के नम्शे मे हाल खसरा नम्बर 176 में केवल 100 मीटर ही कर दिय गया है जबकि मौके पर गत नक्शाट्रेश अनुसर प्रार्थीगण व अन्य लोग काबिज है तथा उसी अनुसार ही अपना पक्का पुख्ता निर्माण कर रखा है तथ प्रार्थीगण के खसरे की उत्तरी सीमा की नाप 12 मीटर कम कर दी गई है। दौरान् भू–प्रबन्ध भू–प्रबन्धक अधिकारीयों एवं कर्मचारीयो को रिकाड्स आफ राईट्स मे कोई फेरबदल करने का अधिकार नही हैं इस कारण उन्हौने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य किया हैं जो गैर कानूनी हैं। दौराने भूप्रबन्ध भू–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियो से नक्शा ट्रेश मे हुई उक्त गलती के दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने कई बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु दुरूस्ती नही की गई तथा अन्त मे कहा कि आप इसके लिए सक्षम न्यायालय [illegible] इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह [illegible] न्यायालय को प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार हांसिल हैं। [illegible] विभाग द्वारा

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ [illegible] कर निवेदन [illegible] रकबा 1.84 हैक्टयर ग्राम हरचन्दपुरा बास गलत रूप से बनाया गये हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 1.84 [illegible] निरीक्षक [illegible]रिया, तहसील सांगानेर के देवलिया, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] नक्शाट्रेश के साबिक खसरा नम्बर 77 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रार्थीगण को बावजूद रजिस्टर नोटिस कोई उपस्थित नही।

प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप बनाया गये हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 1.84 हैक्टयर ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, टवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक ठिकरिया, तहसील सांगानेर के नक्शा ट्रेश के ाबिक खसरा नम्बर 77 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की पा करें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी के हाल खसरा नम्बर 176 रकबा 1.84 हैक्टयर ग्राम हरचन्दपुरा बास देवलिया, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरीक्षक ठिकरिया, तहसील सांगानेर के नक्शा ट्रेश के साबिक खसरा नम्बर 77 के नक्शा ट्रेस अनुसार दुरूस्त किया जावें। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:16:09 IST
Reason: SelfAttested